परियोजना संवाद पत्र

अंकः 4 | 2021

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाईका वित्तपोषित)

भीतरः

- मुख्य परियोजना निदेशक की कलम से
- मुरारी मशरूम समूह की कहानी
- रोहडू वन मण्डल में हो रहे कार्यो का विवरण
- ग्राम वन विकास समिति सरली द्वारा पौधरोपण संरक्षण
- संस्थागत विकास एवं सूक्ष्म योजना
- गवर्निंग बॉडी बैठक
- छरमा के प्रसार हेतु प्रौद्योगिकीयों और रणनीतियों के रोडमैप पर कार्यशाला
- व्यवसायिक योजनाओं का निर्माण
- समुदाय आधारित जैव–विविधता प्रबंधन योजना
- हाईड्रोकल्चर विधि द्वारा चारा उत्पादन
- पतीश के एग्रोटैक्नोलौजी और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिज
- कलमों (हार्डवुड कटिंग) से छरमा का विस्तार
- आयोजित बैठकें / कार्यशालाऐं / प्रशिक्षिण कार्यक्रम

परियोजना कार्यालय, पॉटर्स हिल, समरहिल, शिमला-5 हिमाचल प्रदेश
दूरभाषः 0177-2830217 ई-मेलः cpdjica2018hpfd@gmail.com

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना

(FUNDED BY JAPANESE ODA LOAN AS A TOKEN OF FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN JAPAN AND INDIA)

- **परियोजना क्षेत्र**
  किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल–स्पीति जिलों के तहत आने वाले 7 वन वृत्तों में 18 वन मंडलों के 61 वन परिक्षेत्रों में परियोजना संबंधी कार्य होंगे। इन कार्यों में 400 ग्राम वन विकास समितियों (वीएफडीएस) और 60 जैव विविधता प्रबंधन समितियों/उप–समितियों (बीएमसी) को वार्ड स्तर पर जोड़ा जाएगा। इस प्रकार 460 वार्ड/वार्ड समूह कवर किए जाएंगे।

- **परियोजना की लागत और अवधि**
  800 करोड़ रुपए की इस परियोजना की अवधि 10 वर्ष (2018–19 से 2027–28) की होगी।

- **परियोजना का लक्ष्य**
  हिमाचल प्रदेश राज्य में सतत् सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए वन क्षेत्रों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना।

- **परियोजना का ध्येय**
  परियोजना हस्तक्षेपों के माध्यम से परियोजना क्षेत्रों में वनों के पारिस्थितिकी तंत्रों का निरंतर व टिकाऊ प्रबंधन और विस्तार इसका ध्येय है।

- **परियोजना के घटक**
  घटक 1: सतत् वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन
  घटक 2: जैव विविधता संरक्षण
  घटक 3: आजीविका सुधार सहायता
  घटक 4: संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाना

- **परियोजना कार्यान्वयन**
  इस परियोजना को 'वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार समिति' कार्यान्वित करेगी। यह समिति एक स्वायत्त संस्था है और इसे हिमाचल प्रदेश सभाएं पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत किया गया है।

> ***"Connecting with nature means to connect with ourselves. If we do so, we nurture a better planet."***
>
> -Sh. Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister

नागेश कुमार गुलेरिया, भा.व.से.
अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक, जाईका
Email: cpdjica2018hpfd@gmail.com, pdjicakullu@gmail.com
Phones: 0177- 2832217, 2831217

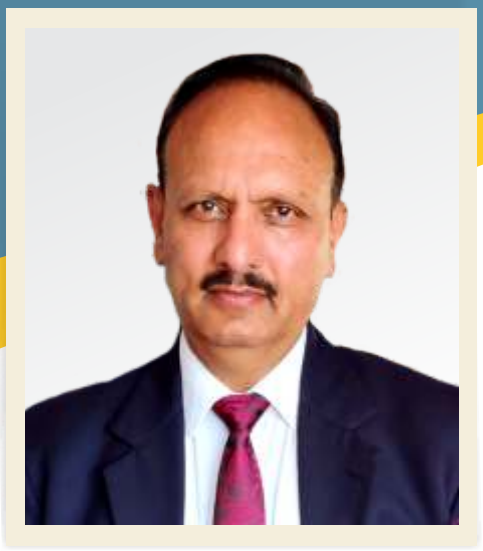

मुख्य परियोजना निदेशक की कलम से ...

मुझे (हिमाचल प्रदेश परियोजना वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन तथा आजीविका सुधार परियोजना) JICA में की जा रही गतिविधियों को आपके साथ साझा करते हुए हर्ष हो रहा है। पिछले एक वर्ष से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसका असर हमारे प्रोजेक्ट से संबधित गतिविधियों को फील्ड में पूरा करने के ऊपर भी पड़ रहा है। उसके बावजूद लोगों के सहयोग और प्रोजेक्ट के प्रति लगाव व समर्पण की वज़ह से हम बहुत हद तक इस वित्त वर्ष में किये जाने वाले कार्यों को कार्यान्वित करने में सफल हुए। हमने इस वर्ष लगभग 1600 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधा रोपण किया है। जिसमें से 853 हैक्टेयर पर लोगों की भागीदारी से साँझा वन प्रबंधन के तहत पौधारोपण (PFM Mode) किया गया है। उसी प्रकार से पौधारोपण के लिए हमने पूरे परियोजना क्षेत्र में विभिन्न नर्सरियों में लगभग 30 लाख पौधें उगाए हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारे वानिकी के कार्यों में प्रयोग किये जाएंगे। हमने इस वर्ष मृदा नमी सरंक्षण (Soil and Moisture Consevation) के विभिन्न कार्य उन सभी पौधा रोपण क्षेत्रों में किये है, जिसका सीधा लाभ उस क्षेत्र में नमी बढ़ाने के लिये और वहां बेहतर वनस्पतियों के उगने में सहायक सिद्ध होगा। हमने कुछ परियोजना क्षेत्रों में इस वर्ष मृदा संरक्षण (Soil Conservation) के कार्य भी किये है

पिछले वर्ष 2019–2020 में हमनें 79 ग्राम वन विकास समितियों (VFDS) का गठन किया गया तथा उनका Societies Act के तहत पंजीकरण भी करवाया। उन सभी ग्राम वन विकास समितियों (VFDS) में सुक्ष्म योजना (Microplan) का कार्य हमने सितम्बर 2020 तक पूरा कर लिया था। उन सभी ग्राम वन विकास समितियों (VFDS) में Entry Point Activities के लिए प्रत्येक ग्राम वन विकास समिति (VFDS) को पहली किस्त के तौर पर 2,50,000 रूपये उनके खाते में डाल दिये हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कई ग्राम वन विकास समितियों (VFDS) ने इस पैसे का अत्यंत सदुपयोग किया तथा वहां के लोगों ने उसमें कुछ पैसा अपनी तरफ से डाल कर उस वार्ड की जरूरतों के अनुसार उसको खर्च किया। इसके अतिरिक्त सहभागी वन प्रबंधन (PFM Mode) की जितनी भी गतिविधियाँ वर्ष 2020–2021 में करनी थी, उसका पैसा विभागीय मापदंड के अनुसार ग्राम वन विकास समिति के खाते में वनमंड़लाधिकारियों के द्वारा डाला दिया है और इन गतिविधियों का कार्यन्वयन उस वार्ड की ग्राम वन विकास

समिति (VFDS) के द्वारा किया जा रहा है। लोगों द्वारा किये कार्यों की निगरानी के लिए लोगों द्वारा ही Social Audit किया जाना चाहिए। इसलिए इससे संबंधित हमने विस्तृत Guidelines प्रत्येक (VFDS) तक पहुंचा दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन इन Guide Lines के अनुसार हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के अन्य घटक Livelihoods Support के अंतगर्त हमने इस वर्ष अच्छी प्रगति की है और प्रत्येक वार्ड में दो–दो स्वंय सहायता समूह (SHGs) गठित करके उनका प्रारंभिक कार्य शुरू करवा दिया है।

तदोपरान्त लोगों की भागीदारी और चर्चा के बाद जो गतिविधियां सामान्य रूचि समूह (Commen Interst Group) ने चिन्हित की है,उनके विस्तृत मॉडल तैयार किये जा रहे है और लगभग दस मॉडल को अंतिम रूप दे कर उनका कार्यान्वयन प्रांरभ कर दिया गया है। जिसमें मुख्यतः कुल्लू में खड्डी से संबंधित, मण्डी में बड़ी और सिरा बनाने का कार्य, सुन्दरनगर में मशरूम का कार्य, शिमला में वर्मी कम्पोस्ट का कार्य और मण्डी और सुन्दरनगर में कम्परेस्ड पत्तल बनाने का कार्य आंरम्भ कर दिया गया है। इन सभी सामान्य रूचि समूह (CIGs) को विभिन्न स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों, आई टी आई और स्थानीय विशेषज्ञों की सहायता से उचित ट्रेनिंगे भी उपलब्ध करवाई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन गतिविधियों से संबंधित कम्युनिटी की इनकम में और सुधार होगा।

आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में उन जड़ी–बूटियों को उगाया जा रहा है जिससे लोगों को व्यवसायिक लाभ पहुंच सके और इनको उगाने के लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से कार्य किया जा रहा है। हमारे जड़ी–बूटी प्रकोष्ठ (Jadi Butti Cell) ने पिछले छः महीनों में बहुत ज्यादा प्रगति की है, तथा बहुत सी स्पीशीज़ से संबंधित मॉडल तैयार किये हैं और उन्हें फील्ड में लागू भी किया जा रहा है। जिनमें बिलासपुर में पामरोज़ा ऑयल, चौपाल और रोहडू में सतुआ, मण्डी में शतावरी, कुल्लू में रखाल से संबधित कार्य शुरू कर दिये गये हैं। इस दौरान हमने चार संस्थानों के साथ विभिन्न विशिष्ट प्रजातियों के व्यवसायिक सवंर्धन के लिए अनुबंध भी साइन किये हैं तथा चिन्हित किये गयें विभिन्न क्षेत्रों में तीन से पांच स्पीशीज़ के ऊपर कार्य किया जा रहा है। हमारे विशेषज्ञों की टीम ने परियोजना क्षेत्र की प्रत्येक नर्सरियों के लिए एक विस्तृत रिर्पोट तैयार की है। जिसमें उस वन मंडल से संबधित विभिन्न स्पीशीज़ को उगाने के लिए बीज इत्यादि इकटठा करने के लिए सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारियों से अनुरोध किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वित्त वर्ष में हम विभिन्न प्रजातियों को पुनः उन नर्सरियों में उगाने में कामयाब हो जाएगें। इसके अतिरिक्त और विभिन्न

जड़ी–बूटियों के इन–सीटू कनसरवेशन के लिए भी प्रयास किये जा रहे है।

विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करना इस प्रोजेक्ट की मुख्य गतिविधि है। प्रशिक्षण संस्थान कोविड की वज़ह से बंद होने के कारण इस गतिविधि को पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। परन्तु वेबीनार के माध्यम से हमने कोशिश की है कि हमारे Front Line Workers को उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। इस सिलसिले में वर्ष के आंरम्भ में हमने लगभग 28 वेबीनार आयोजित किये तथा जैसे–जैसे कोविड़ की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो विभिन्न संस्थानों में, सर्कल स्तर पर और वन मंडल स्तर पर हमने बैच–1 की सभी ग्राम वन विकास समितियों (VFDS) के पदाधिकारियों और Ward Facilitators को बेसिक प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा विभिन्न वर्कशॉपों और बैठकों के माध्यम से जाईका प्रोजेक्ट से संबधित स्टाफ को प्रोजेक्ट की विभिन्न गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। राज्य के अन्दर ही कुछ ग्राम वन विकास समितियों के (VFDS) 41 सदस्यों को जागरूकता भ्रमण (Exposure Visit) के लिए भी भेजा गया है। जिसमें वन मंडल शिमला के कुछ अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल थे तथा जिसमें ऊना ज़िला की स्वां समिति (SWAN Women Federation) मुख्यतः रही है।

हमारे उत्साह में उस वक्त पंख लगते है जब हमें विभिन्न क्षेत्रों से Success stories सुनने को मिलती है। मैं यहां सभी Stories का जिक्र नहीं कर पाऊंगा, परन्तु कुछ Stories का ज़िक्र किये बिना रह भी नहीं सकूंगा। मुझे याद है जब कुल्लू के विस्तोरी वार्ड के सदस्यों ने सूखे की स्थिति के बाद बैठक कर के उनके द्वारा रोपित किये गये पौधों को पानी देने का निर्णय लिया और सूखे की वज़ह से सूख रह पौधों को नया जीवन प्रदान किया। उसी प्रकार से पनेश वार्ड के लिए जब दस हेक्टेयर वन क्षेत्र को बंद किया गया तो बरसात के बाद उगी घास को गांव वालों ने आपस में मिलजुल कर बंटवारा किया और अपने पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जो पहले उन्हें कई हजार रूपये खर्च कर के दूसरी जगह से खरीदना पड़ता था। मैं जानता हूँ कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट की विभिन्न गतिविधियों को लोगों द्वारा लागू किया जाता है, तो जहां Success Stories उत्साह में वृद्धि करती हैं, वहीं छोटी–मोटी असफलता की सभांवना भी बनी रहती है। लेकिन हमारा ध्येय Success Stories को सब लोगों तक पहुंचाना और असफलता से सबक लेना होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने–वाले समय में हम और बहुत सी Success Stories, वन संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेगें।

नागेश कुमार गुलेरिया, भा.व.से.
अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक जाइका

मुरारी मशरूम समूह की कहानी

गांव में ग्रामीण वन विकास समिति के गठन के उपरान्त वहां अगला कदम इस गांव में आजिविका सम्बर्धन के लिए यहां पर पहले से चले हुए सहायता समूहों को सुदृढ़ करके आय सृजन गतिविधि का आगाज करने के लिए यहां के तीन स्वयं सहायता समूहों में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर विचार–विमर्श करके तथा इन स्वयं सहायता समूहों की दक्षता एवं क्षमता का आकलन भी किया गया। इन समूहों में गहन मंथन के पश्चात गतिविधि की भी पहचान की गई, सर्वप्रथम जो गतिविधि इसमें आई वह थीं: 1) मशरूम उत्पादन, 2) सिलाई कटाई एवं बुनाई।

जब दूसरी बार कुछ दिनों के पश्चात फिर से F.T.U. टीम इस गांव में इन गतिविधियों के बारे में विचार–विमर्श और इन्हें अन्तिम रूप देने के लिए वहां पहुंची। वार्तालाप के दौरान यह पता चला कि जो समूह के लिए गतिविधियां निकली थी उन पर चर्चा के बाद समूह के कुछ लोग काम के लिए सहमत नही हुए। अतः दोबारा इस पर मंथन हुआ और निर्णय लिया गया कि एक और तिथि तय की जाए और इस बीच मौजूदा समूहों के सदस्य आपस में एक बार पुनः चर्चा करेगें। अगली तिथि पर वहां पहुंचने पर पाया कि जो मुरारी स्वयं सहायता समूह के सदस्य सभी तैयार हो गए थे कि वह मशरूम उत्पादन की गतिविधि करेगें, जबकि दूसरे दो समूह जो कटिंग टेलरिंग व बुनाई पर सहमत हुए थे, वो इस गतिविधि से विमुख होकर किसी अन्य गतिविधि पर सहमति दर्शायी गई। इन समूहों से जो सदस्य इस गतिविधि में रूचि रखते थे, वह इसके साथ जुड़ गए, बाकि के सदस्य इसमें नहीं जुड़े। इस तरह से इन्होंनें एक नया CIG का गठन किया। जिसमें प्रधान व सचिव का चुनाव करके अन्य संबधित फैसले लिए जोकि इस समुह को चलाने के लिए आवश्यक थे जैसे कि monthly contribution, खाता खोलना, interloaning etc. तथा मंथन के बाद ''पेपर प्लेट बनाने की गतिविधि'' का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

मशरूम उत्पादन गतिविधि जो मुरारी देवी स्वयं सहायता समुह के द्वारा अपनाया गया। यह स्वयं सहायता समूह पुराना है। अतः इसको मशरूम उत्पादन गतिविधि से जोड़ने के लिए समूह को इस गतिविधि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना यह परियोजना की जिम्मेदारी थी अतः परियोजना प्रबंन्धन इकाई द्वारा इस मशरूम गतिविधि समूह की प्रशिक्षण के लिए नजदीकी प्रशिक्षण संस्थान (KVK Mandi at Sunder Nagar) में प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई गई और समूह के सदस्यों के प्रशिक्षण के पश्चात् उनके गांव में Demonstration भी लगवा दिया गया। यह सराहनीय कार्य परियोजना द्वारा किया गया है। इसमें समूह के सभी सदस्य उत्साहित हैं व सफलता की कामना रखते हैं।

परियोजना (JICA) के अर्न्तगत रोहडू वन मण्डल में हो रहे कार्यों का विवरण।

जैसा कि परियोजना के अर्न्तगत प्रदेश में प्रयास चरण में 75 ग्रामीण वन विकास समितियों का गठन किया जाना था और इसी सन्दर्भ में रोहडू वन मण्डल में सरस्वती नगर वन परिक्षेत्र का प्रथम चरण में चयन किया गया। कुल मिलाकर रोहडू वन मण्डल के 4 वन परिक्षेत्रों में उपरोक्त परियोजना के तहत कार्यों होने है और उनका चयन कर लिया गया है।

पहले चरण में सरस्वतीनगर परिक्षेत्र के अर्न्तगत दो ग्राम पंचायतों (नन्दपुर व अन्टी) में पाँच ग्राम वन विकास समितियों की गठन किया गया है, और इन सभी में सूक्ष्म योजना बनाने का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। सूक्ष्म योजना तैयार करते समय चयनित वार्ड के लोगों ने जिनमें विशेषकर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति के साथ–साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसी कोई आम सभा नहीं रही जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति न दर्ज़ करवाई हो। कोई भी गतिविधि चाहे आजीविका सुधार से सम्बन्धित या उस पर चर्चा या पौधरोपण का मामला हो या फिर उपभोक्ता समूह या स्वयं सहायता समूह की बात हो, महिलाओं ने सदैव अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।

प्रथम चरण के सभी कार्य सुचारू रूप से तथा समय के भीतर पूर्ण हो रहे हैं लेकिन पौधरोपण कार्य कही सरलता से हुए तथा कहीं यह कार्य मौसम के कारण या कुछ लोगों के एतराज की वजह से चुनौती पूर्ण रहे। पौधरोपण के लिए सभी पाँचों वार्डों के भीतर 100 हैक्टेयर का लक्ष्य विभिन्न योजनाओं के तहत रखा गया है जिसमें कुछ कार्यों समिति द्वारा तथा कुछ विभागीय स्तर पर भी किया जाना है।

पौधरोपण के लिए ग्राम पंचायत अन्टी में लगभग 4 हैक्टेयर का क्षेत्र ऐसा चयनित किया गया जहाँ पूर्व में अवैध कब्ज़ा हटाया गया था और सेब के पौधे काट दिए गये थे, परन्तु आज उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से यह क्षेत्र फिर से वन पौध प्रजातियों से हरा भरा होने लगा है, इस क्षेत्र में 4400 पौधे देवदार के रोपित किए गये हैं, ऐसा तभी सम्भव हो पाया जब लोगों को विभाग तथा परियोजना कर्मचारियों द्वारा बार–बार बैठक कर खराब हो रहे पर्यावरण व वनों के महत्व के विशय मे समझाया गया। आज इस पौधरोपण क्षेत्र की देखरेख/संरक्षण हेतु छाजपुर वैली के नाम से उपभोक्ता समूह भी गठित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त छाजपुर वैली ग्राम वन विकास समिति के

अन्तर्गत महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह भी गठित किया गया है जो भविष्य मे सिलाई–कटाई गतिविधि आजीविका सुधार गतिविधि के रूप में कार्य करेगा। इस समूह का नज़दीकी बैंक शाखा में बचत खाता भी खुल चुका है और ये महिलाएं अपने समूह में आन्तरिक लेनदेन भी कर रही है। आन्तरिक लेनदेन मे इन्होंने 1 प्रतिशत का ब्याज दर निर्धारित किया है। ग्राम पंचायत नन्दपुर के रूहिल–मलोग वार्ड में पौधरोपण हेतु एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया गया जो बरसों से बंजर पड़ा था और वहाँ कभी विभाग ने भी पौधरोपण नहीं किया था, क्योंकि यहाँ हर साल आग लगा करती थी। वर्तमान में जो पौधरोपण किया गया उससे पूर्व भी पूरा क्षेत्र आग से झुलसा था, परन्तु अब लोगों के सहयोग व संरक्षण के आश्वासन देने पर इस क्षेत्र में 1280 देवदार व 720 खनोर प्रजाति के पौधे रोपित किए गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा पौधरोपण किया गया है, इस क्षेत्र में धूप ज़्यादा होने की वजह से खनोर के पौधे रोपित किए गए हैं ताकि देवदार के वृक्षों को छाया प्रदान कर सके और क्षेत्र में नमी निरन्तर बनीं रहे। इसे साथ–साथ नमी बनाएं रखने के लिए पौधरोपण के समय Trenches का निर्माण भी किया गया हे और आग से बचाव के लिए उपभोक्ता समूह ने मिल बैठ कर Fire lines का निर्माण, समय पर घास कटाई और उपयोग में न आने वाला खरपतवार लिए नीतियाँ बनाई है।

इस उपभोक्ता समूह द्वारा परियोजना से निवदेन किया गया है कि इन पौधों को बचाने व निरन्तर नमी की दृष्टि से छोटे–छोटे तालाब बनाए जाए ताकि ये पौधरोपण क्षेत्र जहाँ आज बंजर दिखाई देता है, एक दिन हरा–भरा दिखाई दे। इसके अतिरिक्त पहले चरण के पाँचों ग्राम वन विकास समितियों के अर्न्तगत, 7 स्वयं सहायता समूह बनाए गए है जिनमें 3 (Cutting & Tailoring), **2** (Cutting/Pruning), 1 (Grading Packing), 1 (Poultry Farming) का बना है। इस आशा के साथ कि सभी स्वयं सहायता समूह अच्छा कार्य करेंगे, ताकि परियोजना के उद्देश्य पूरे हो सके।

ग्राम वन विकास समिति सरली द्वारा अपनत्व की भावना से पौधरोपण संरक्षण

आजकल कुल्लू व कुछ पड़ौसी ज़िले सूखे के कारण चिन्तित हैं। इससे नए पौधरोपण क्षेत्रों में पौधे तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। यहां ग्राम वन विकास समिति ने अपने पौधरोपण को बचाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। सभी ग्रामवासियों, युवाओं, बुजुर्गों, पुरूषों व महिलाओं ने अपने पौधरोपण के संरक्षण हेतु पौधरोपण में सिंचाई करने की योजना बनाई। क्योंकि, पौधरोपण क्षत्रों का चयन सामुदाय ने अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं किया था और ग्राम वन विकास समिति द्वारा इसमें उगाए गए पौधों उचित रखरखाव किया जा रहा था इसलिए, लगभग सभी ग्रामवासी संगठित हो कर 9 अक्तूबर, 2020 को युद्धस्तर पर अपने–अपने घरों से पानी की बल्टिया व डिब्बे लाए व पास के जलस्त्रोत से पानी ला कर अपने पौधरोपण में सिंचाई की। इससे ग्रामवासियों में अपनत्व की भावना बलवती हुई। कुल्लू वन मण्डल के भुट्टी वन परिक्षेत्र की सरली वन विकास समिति वास्तव में सहभागी वन प्रबंधन का ज्वलंत उदाहरण है। इसके लिए सरली ग्राम वन विकास समिति के कार्यकारिणी सदस्य बधाई के पात्र हैं तथा अन्य ग्राम वन विकास समितियों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए।

संस्थागत विकास एवं सूक्ष्म योजना

द्वितीय चरण की 181 ग्राम वन विकास समितियों, जैव–विविधता प्रबन्धन समितियों व उप समितियों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा 13 वन मण्डलों के 25 वन परिक्षेत्रों व 4 वन्यप्राणी परिक्षेत्रों के सम्बन्धित वार्डों की ग्राम वन विकास समितियों, जैव विविधता प्रबन्धन समिति उप समितियों के गठन का प्रारम्भिक चरण शुरू हो चुका है। सूक्ष्म योजनाएं तैयार करने हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है।

गवर्निंग बॉडी बैठक

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना के नियामक मण्डल की चौथी बैठक 26 नवम्बर, 2020 को सचिवालय के आर्मसडेल भवन सभागार , शिमला में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता अति. मुख्य सचिव (वन) हि.प्र. सरकार, श्री आर.डी. धीमान ने की। इस सभा में नियामक मण्डल सदस्यों, मुख्य परियोजना निदेशक एवं सदस्य सचिव, परियोजना निदेशक तथा कार्यालय कर्मचारियों ने भाग लिया। सभा के आरम्भ में मुख्य परियोजना निदेशक एवं सदस्य सचिव मुख्य ने नियामक मण्डल के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का अभिनन्दन किया। उन्होंने परियोजना के लक्ष्यों, उद्देश्य, परिव्यय तथा घटकों सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत की। तत्पश्चात, माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से तीसरी नियामक मण्डल बैठक कार्य सूची /एजैंडा की समीक्षा व आगे के 21 अन्य एजैंडा को विस्तृत चर्चा एवं निर्णय हेतु पस्तुत किया। आरम्भ में नियामक मण्डल द्वारा एजैंडा को पारित किया गया तथा कोविड–19 स्थिति के दृष्टिगत वर्ष 2020–21 के परियोजना बजट को 41.78 करोड़ रूपए से संशोधित कर 34.78 करोड़ रूपए किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत संशोधित बजट

घटक / गतिविधी	स्वीकृत बजट (रू)	घटक / गतिविधी	स्वीकृत बजट (रू)
घटक– 1: सतत् वन पारिस्थिकी तंत्र प्रबंधन		**घटक– 3: आजीविका सुधार**	
1.1 संयुक्त वन प्रबन्धन हेतु प्रारंभिक कार्य	1,92,57,000	3.1 सामुदायिक विकास	2,88,50,000
1.2 सहभागी वन प्रबंघन मोड	2,59,53,000	3.2 एनटीएफटी आधारित आजीविका सुधार	94,00,000
1.3 वी एफ डी एस और एक्सपोजर विजिट्स	2,00,000	3.3 गैर एनटीएफटी आधारित आजीविका सुधार	45,50,000
1.4 विभागीय मोड	13,31,29,350	3.3.6 मोबिलाइजर, वार्ड फेस्लिटेटर एवं एसएचजी का प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट्स	4,50,000
1.5 एसएमएस, जीपी मोबिलाइजर, फेस्लिटेटर और मैनुअल प्रशिक्षण	2,50,000	**घटक –4: संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण**	
1.6 अनुसंधान	6,00,000	4.1.2 पीएमयू और फील्ड स्तर इकाईयों का सुदृढ़ीकरण	3,83,50,000
घटक –2: जैव विविधता संरक्षण		4.1.3 कार्मिक / संगठन भर्ती	2,66,60,000
2.1 वैज्ञानिक जैव विविधता प्रबंधन	89,62,000	4.1.4 लिंग कार्य योजना और पर्यावरण व सामाजिक विचार	16,40,000
2.2 एसएमएस, जीपी मोबिलाइजर, फेस्लिटेटर और मैनुअल प्रशिक्षण	2,00,000	4.2 क्षमता विकास	4,00,000
2.3 अनुसंधान	53,85,500	4.3 निगरानी एवं मूल्यांकन (एमएण्डई)	66,45,700
2.4 समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन	58,35,150	4.5 प्रोक्योरमेंट ऑफ पीएमसी	1,00,00,000
2.5 बीएमसी उप समितियों का प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट्स	1,00,000	5 आक्समिक निधि	10,00,000
		6 वेतन	2,00,00,000
		कुल वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्वीकृत संशोधित बजट	**34,78,17,700**

छरमा के प्रसार हेतु प्रौद्योगिकीयों और रणनीतियों के रोडमैप पर कार्यशाला

छरमा/सीबकथार्न शीत हिमालयी क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण पौधा है। भारत वर्ष में छरमा ऊँचाई वाली ठण्डी व शुष्क परिस्थितियों में लद्दाख (लेह व कारगिल) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरूणांचल प्रदेश में पाया जाता है। छरमा के पौधे के प्रत्येक भाग– फल, पत्ते, शाखाएं जड़ें तथा कांटे परम्परागत रूप से दवा, पोषक तत्वों, जलावन तथा बाड़बन्दी निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह पौधा सख्त, सूखा प्रतिरोधी और शीत क्षेत्र के चरम तापमान को सहने वाला होता है। इस पौधे में एक चरम/विस्तृत जड़ प्रणाली होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सही कर, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने और मरूस्थलीकरण की रोकथाम में अहम भूमिका निभाता है। पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण एवं समुदायों की आजीविका से संबंधित विषयों को ले कर "हिमाचल प्रदेश के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में छरमा के प्रसार हेतु प्रौद्योगिकीयों और रणनीतियों के रोडमैप" पर 20 जनवरी, 2020 को पौटर्स हिल, शिमला स्थित जाइका सहयोग की वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन एवं और आजीविका सुधार परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक कार्यालय में श्री नागेश गुलेरिया, मुख्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में श्री अनिल कुमार भा.व.से. वन वृत्त समन्वयक इकाई व अरण्यपाल, कुल्लू, सुश्री मीरा शर्मा, भा.व.से. परियोजना निदेशक अनुश्रवण तथा मूल्यांकन, कुल्लू, श्री सतपाल धीमान, संयुक्त सचिव (वन), श्री राजेश शर्मा, हि.प्र.व.से. परियोजना निदेशक जाइका शिमला, सुश्री अनिता भारद्वाज हि.प्र.व.से. वनमण्डलाधिकारी, मुख्यालय कार्यालय अरण्यपाल वन्यप्राणी दक्षिण, शिमला, प्रो0 वीरेन्द्र सिंह, चौ.स.कु. हि.प्र. कृ.वि.वि. पालमपुर, प्रधान वैज्ञानिक; रिसोर्स परसन/संसाधकद्ध , प्रो. अरविंद भट्ट, हि.प्र.वि.वि., डॉ. लाल सिंह, निदेशक एच.आर.जी., शिमला, डॉ. भानू निओपने, प्रबंधक; एंटरप्राइज विकास, जड़ी–बूटी सैल डॉ. अमन शर्मा, कार्य प्रबंधक (वानिकी एवं जैव–विविधता), जाइका, शिमला सहित कुल 11 प्रतिभागी सम्मिलित हुए । रिसोर्स परसन/संसाधक प्रो0 वीरेन्द्र सिंह, चौ.स.कु.हि.प्र. कृ.वि.वि. पालमपुर, प्रधान वैज्ञानिक द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में छरमा के प्रसार हेतु प्रौद्योगिकीयों और रणनीतियों का रोडमैप प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई तथा प्रतिभागियों ने छरमा के विस्तार सम्बन्धी रोड़मैप बारे अपने विचार साझा किए।

अन्त में यह निर्णय लिया गया कि चौ.स.कु.हि.प्र. कृ.वि.वि. पालमपुर एक रोड़मैप तैयार करेगा जिसमें विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ परियोजना के समन्वय से रोड़मैप लागू करने के लिए दो मॉडल विकसित करेगा। एक, लधु समयावधी मॉडल जो जाइका सहयोग की परियोजना की त्वरित आवश्यकताओं के अनुरूप पौधशाला विकास, प्रबंधन तथा विद्यमान छरमा की फसल के दोहन पर केन्द्रित होगा तथा दूसरा दीर्घ कालीन मॉडल, जिसमें हि.प्र. वन विभाग के संशोधित मानदंडों के अनुरूप लाहौल एवं स्पिति में सरकारी वन भूमि पर छरमा का विस्तार तथा आजीविका सुधार के तहत वाणिज्यिक योजना तैयार करने पर केन्द्रित होगा।

आजीविका घटक के तहत व्यवसायिक योजनाओं का निर्माण

सूक्ष्म योजना तैयार करते समय अनेक आयसृजन गतिविधियां सामने आई हैं। अनेक बैठकें आयोजित की गईं और विस्तृत वार्तालाप किया गया ताकि औपचारिक स्वयं सहायता समूहों और समान रूचि समूहों को सक्रिय बनाया जा सके। उनकी लिखित सहमति ली गई। उनके चुनाव करवाए गए तथा उन्हें अपने प्रतिनिधियों, नियमों और विनियमों का चुनाव करने के लिए कहा गया। बैंक खाता खुलवाया गया तथा समूह का मासिक योगदान शुरू किया गया। नेतृत्व, कार्यवाही लेखन, लेखा–जोखा रखने, आपसी लोनिंग आदि बारे इन समूहों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस बीच खुम्ब की खेती, हैंडलूम, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बुनाई, अचार, पत्तल बनाने आदि के लिए व्यावसायिक योजनाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है।

हाईड्रोकल्चर विधि द्वारा चारा उत्पादन

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन पालन आजीविका की सामान्य गतिविधी है। अनेक घरों में मंदी के दिनों में हरे चारे की कमी हो जाती है। चारे की कमी यानी महिलाओं तथा घर की आर्थिकी पर अतिरिक्त बोझ। इसलिए हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना द्वारा चारे के वैकल्पिक स्त्रोतों को खोज की जा रही है और "हाईड्रोकल्चर विधि द्वारा चारा उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना" पर शोध कार्य आरम्भ करवाया गया है। इसके लिए हनोल हाईड्रोएग्री एण्ड वर्क के साथ एक वर्ष के करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिसने 1 सितम्बर, 2020 से कार्य आरम्भ कर दिया है। हनोल हाईड्रोएग्री द्वारा कण्डा ग्राम वन विकास समिति, शिमला के तहत कण्डा में हाईड्रोकल्चर द्वारा चारा उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। इस हाईड्रोकल्चर चारा उत्पादन इकाई में मक्की, गेहूँ

तथा जौ को नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जा रहा है । इस शोध कार्य हेतु कण्डा ग्राम वन विकास समिति के 10 घरों को चयनित किया गया है जहां व्यवहार्यता/ तकनीकी मूल्यांकन, आर्थिक मूल्यांकन, पशु स्वास्थ्य और उत्पादन मूल्यांकन पर शोध हो रहा है।

समुदाय आधारित जैव-विविधता प्रबंधन

परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना द्वारा लक्षित क्षेत्रों में वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन व वनों पर आश्रितों की आजीविका में सुधार लाना है। वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन अन्य आयामों के साथ–साथ वैज्ञानिक और सामुदायिक प्रबंधन केन्द्रित दृष्टिकोण द्वारा जैव–विविधता सुधार को भी समायोजित करता है।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना में समुदाय आधारित जैव–विविधता प्रबंधन की परिकल्पना की गई है जिसमें सामुदाय आधारित जैव–विविधता योजना और सत्योमा दोनों ही परिकल्पित है। सामुदाय आधारित जैव–विविधता प्रबंधन एक सहयोगी दृष्टिकोण प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय हितधारकों साथ–साथ जैव विविधता प्रबन्धन में स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाया जाए ताकि समुदायों साथ–साथ आम लोगों को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लाभ मिल सकें। यह प्रक्रिया आमतौर पर इनसीटू दृष्टिकोण द्वारा विकसित की गई है और यह सामुदायिक स्तर के मुद्दों पर केन्द्रित है। इसमें समुदायों की आजीविका सम्पत्ति विषयक विशलेषण करने की क्षमता में वृद्धि, समस्याओं और उपयोग करने व समाधान तलाशने व उन्हें लागू करने के लिए स्थानीय जैव–विविधता के अनुवांशिक संसाधनों का सरक्षण सम्मिलित है।

दृष्टिकोण सामुदाय केन्द्रित है, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को बल प्रदान करता है और सामुदायिक जैव–विविधता संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रेरित करता है। सामुदाय आधारित जैव–विविधता प्रबंधन योजना एक विकेद्रीकृत प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय केन्द्र में है जो अपने आसपास के संसाधनों, इसके उपयोग व योजनाएं बनाने पर नज़र रखता ताकि भावी पीढ़ियों को इनके सतत एवं दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सकें।

इस प्रकार समुदाय आधारित प्रबंध योजना के दो पहलू हैं: 1. समुदाय आधारित जैव–विविधता निगरानी और 2. समुदाय आधारित जैव–विविधता प्रबंधन योजना।

समुदाय आधारित जैव–विविधता निगरानी दोनों, क्वालीटेटिव / गुणात्मक और क्वांटिटेटिव / मात्रात्मक के माध्यम से की जा रही है। (गुणात्मक के तहत जैव–विविधता उप समिति क्षेत्र के लोगों का जैव–विविधता रजिस्टर /पी.बी.आर./पीपल्स बायो डाइवर्सिटी रजिस्टर आता है) और (मात्रात्मक के तहत समुदाय आधारित जैव–विविधता निगरानी अर्थात पी.वी.एम./ पर्टिसिपेटरी वैजटेटिव मानिटरिंग आता है जिसने सम्बन्धित क्षेत्र में विभिन्न पौधों के वनस्पतिक डाटा एकत्र करने में अहम भूमिका निभाई है)

कुल्लू वन्यप्राणी मण्डल में जैव–विविधता प्रबन्धन समिति उप समितियों के सक्रिय सहयोग से समुदाय आधारित प्रबंध योजना प्रक्रिया आरम्भ की गई है। इसकी पहल छवारा जैव–विविधता समिति उप समिति द्वारा की गई बाद में कुल्लू वन मण्डल के कुल्लू वन परिक्षेत्र की अन्य 5 जैव–विविधता समिति उप समितियों में इसे दोहराया गया। कुल्लू वन्यप्राणी मण्डलीय प्रबन्धन इकाई के कर्मचारियों द्वारा समुदाय आधारित प्रबंधन योजना प्रक्रिया को व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। उप समिति स्तर पर फील्ड तकनीकी इकाई समन्वयक ने ग्राम पंचायत मोबीलाइज़र तथा वार्ड फैसिलिटेटर के साथ मिलकर समुदायों को सम्मिलित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाए। पी.बी. आर. अर्थात पीपल्स बायोडाईवर्सिटी रजिस्टर और पी.वी.एम. अर्थात पार्टिसिपेटरी वैजिटेटिव मानिटरिंग ने विद्यमान जैव–विविधता की बैंचमार्किंग की दिशा में महत्पूर्ण भूमिका निभाई है। सामुदाय आधारित प्रबन्धन योजना के तहत बी.एम.सी. स्तर पर बी.एम.सी. उप समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पतीश के एग्रोटैक्नोलौजी और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिज

बीज संग्रह, सुखाना और भंडारणः बीज का सितम्बर के आखिर में या नवम्बर के आरम्भ में पूरा पकने के बाद एक किया जाता है। बीज (2–4 डिग्री सैल्सियस) के कम तापमान मे संग्रहित किए गए बीज उन्हें एक वर्ष तक अच्छा उपयोग तुल्य बना कर रख सकते हैं।

जलवायु और मिट्टीः इस प्रजाति की खेती समुद्रतल से 2200–4200 मी. की ऊँचाई तक की जा सकती है। इसे ठण्डा व समशीतोषण जलवायु की आवश्यकता होती है। रेतीली दोमट, झरझरी और अम्लीय मिट्टी बीज के अंकुरण, जीवित प्रतिशतता, विकास तथा उपज के लिए उपयुक्त होती है।

खेत की तैयारी एवं खादः भूमि को झरझरा बनाने के लिए उसे दो या तीन बार खोदा या उसमें हल चलाया जाता है । वर्षा के मौसम में 75–80 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की दर से खाद का उपयोग खाईयां खोद कर किया जाता हैं ताकि बारिश खाद को बहा कर न ले जाए। अच्छी पैदावार के लिए वर्मीकम्पोस्ट या जंगल से प्राप्त ह्यूमस उपयुक्त होता है।

प्रसार एवं खेतीः इसे बीज या जड़ों के माध्यम से उगाया जाता है। खेत में बीज की बुवाई के बाद अंकुरण 15–20 दिनों में होता है और 40–50 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है। ऊँचाई वाले क्षेत्रों में 90 दिनों से अधिक पुराने पौधे अप्रैल तथा मई के महीने में खेतों में 30x30 सैं मी. की दूरी पर लगाए जाते हैं और जड़ सैगमैंट/भाग लगाने के लिए यह दूरी 35x35 सैं मी. की होनी चाहिए। जिन पौधों का प्रत्यारोपण/ ट्रांसप्लांटिंग अक्तूबर में हुआ हो, उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिक पाला व कभी–कभी बर्फबारी से पौधों को नुकसान हो सकता है। शीर्ष जड़ सैगमैंट/भाग एकल शूट पैदा करता है जो मध्य एवं निचले भाग की तुलना में विस्तारण के लिए बेहतर समझा जाता है। ऊपरी भाग को यदि 10 से 15 डिग्री की ढाल में प्रत्यारोपित किया जाए तो जीविति प्रतिशतता अधिक रहती है यानी 80–90 प्रतिशत तक। निचले क्षेत्रों में मई व जून में किए गए पौध प्रत्यारोपण के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। एक हैक्टेयर भूमि में खेती के लिए लगभग 90 हज़ार पौधों या 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है।

सिंचाई और निढ़ाई –गुड़ाईः पौध की मृत्यु दर कम से कम करने के लिए शुरू में लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। बरसात में सिंचाई बहुत कम की जाती है। निचले क्षेत्रों में विशेषकर (2000–2200 मी.), छः माह पुराने पौधों को बार–बार, प्रत्येक 24 घण्टे में एक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में जल जमाव के कारण पौधों की बोल्टिंग हो जाती है तथा पत्तों में काले धब्बे नज़र आने लगते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए रेज़्ड व हल्के ढलानदार बैड तैयार किए जाते हें। गर्मी व बरसात के मौसम में सप्ताह में एक बार खड–पतवार निकासी की जानी चाहिए। सर्दियों में नमी को बरकरार रखने के लिए सप्ताह में एक बार सिंचाई तथा 15–20 दिनों में निढ़ाई–गुड़ाई की आवश्यकता रहती है।

फसल कटाईः बीज से तैयार किए गए पौधे 3 वर्षों में पूर्ण विकसित हो कर दोहन के लिए तैयार हो जाते है, इस प्रकार प्रत्येक तीसरे वर्ष इनका दोहन किया जा सकता है। जड़ों द्वारा तैयार किए जा रहे पौधों में पहले वर्ष में फूल निकल आते हैं। प्रजनन चरण पूरा करने के उपरांत पौधे विकसित हो कर दोहन हेतु उपलब्ध हो जाते हैं जिससे तत्वों से परिपूर्ण अच्छी फसल प्राप्त होती है। जुलाई अगस्त में जब फूल निकलने लगते हैं, इनसे सक्रिय तत्वों की प्राप्ती होती है और यही वह समय है जब अधिकतम फसल प्राप्त करने का उपयुक्त समय होता है। यद्यपि, पौधों के विस्तार हेतु अधिकाधिक फसल व बीज की उपलब्धता के लिए पौधों का एकत्रीकरण अक्तूबर–नवम्बर माह में किया जाना चाहिए।

फसल, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक और आय सृजनः खेती–बाड़ी में जड़ों व वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग के दो वर्षों बाद अनुमानतः 1.22 क्विंटल प्रति हैक्टेयर के हिसाब से फसल प्राप्त होती है । यह मूल्यांकन पौधों की मृत प्रतिशतता के अनुसार बदल भी सकता है। फसल दोहन के उपरांत, जड़ों को खुले में पानी से भली–भांती धोया जाता है। नई तथा पुरानी जड़ों को अलग–2 करके उन्हें हवा में सुखाया जाता है। भट्टी या सीधा धूप में सुखाने से जड़ों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुखाने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जड़ों को बोरियों में पैक कर बाजार के लिए तैयार किया जाता है या फिर सूखे तथा ठण्डे कमरे में स्टोर किया जा सकता है।

कलमों (हार्डवुड कटिंग) से छरमा का विस्तार

एकत्र करने का समयः छरमा की कलमों को अक्तूबर से मार्च तक एकत्र किया जा सकता है। लेकिन जिन कलमों को मार्च से पूर्व एकत्र किया गया हो, उन्हें मिट्टी के नीचे (3–5 डिग्री सै.) तापमान में दबा कर रखना चाहिए।

आयु तथा कटिंग का साईज़ः कलमें 2–3 वर्ष पुरानी शाखाओं से एकत्र की जाती हैं। कलम की लम्बाई 15–20 सैं.मी. तथा मोटाई 1.0 से 1.5 सैं.मी. होनी चाहिए। शाखाओं से कटिंग प्राप्त करने के लिए तेज धार पूनिंग कैंची व चाकू का आदि का उपयोग करना चाहिए।

रोपण से पूर्व तैयारीः 50–100 कलमों के बंडल बना कर इन्हें कम तापमान में स्टोर कर के रख लें। रोपण से पूर्व इन कलमों को 18–25 डिग्री सै. तापमान में पानी में 5 से 7 दिनों के लिए इस प्रकार डिबो कर रखें ताकि कलम की दो–तीन कोंपले बाहर रहें और कोंपलें कुछ फूल जाएं। इसका पानी प्रतिदिन बदल लेना चाहिए। कटाई तथा कटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कलमों को अन्दर से गीली बोरी और डैम्प बर्लैप से ढ़ांप लेना चाहिए।

उपचारः सर्दियों में ठण्डी भूमि में स्टोर होने के कारण कटिंग में उपलब्ध प्रतिरोधक नष्ट हो सकता है। नर्सरी में कटिंग रोपित करने से पूर्व कटिंग को बहते पानी में 24 घण्टों के लिए या बाल्टी में 1–3 दिनों के लिए डुबो कर रखना चाहिए। रोपण से पूर्व कलम का निचले भाग को 300–500 पी.पी.एम एन.ए.ए.या आई.बी.ए. 50–200 मिली ग्राम प्रति लिटर घोल में डबो कर लगाएं।

मिट्टी माध्यम : हार्डवुड कलमों की जटिल जड़ प्रणाली के लिए मिट्टी के भीतर हवा व पानी की सही आवाजाही की आवश्यकता होती है। रोपणी की मिट्टी हल्की, जैविक पोषक तत्वों से परिपूर्ण होनी चाहिए जिसकी पी.एच. वैल्यू 6.5–7.5 तक हो। पौधरोपण वर्ष के दौरान, नर्सरी क्षेत्र को बसंत ऋतु में तैयार कर लेने चाहिए। हंसी के उपयोग से मिट्टी को 5–8 सैं.मी गहरा खोदें और पैकिंग करें। कटिंग को रोपने से 3–5 दिन पहले

मिट्टी में सिंचाई कर लें। नर्सरी में यदि कटिंग को खुले में लगाया जा रहा हो, तो मिट्टी ढीली तथा सही जल निकासी की व्यवस्था से लैस होनी चाहिए। जैसा कि देख गया है कि प्राकृतिक रूप में छरमा नदी तथा उसके आस–पास रेतीली ज़मीन में पाया जाता है, इससे यह आभास मिलता है कि रेत का झरझरी होने के कारण यहां ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए छरमा की नर्सरियॉ तैयार करने के लिए यह आवश्यक माध्यम है। हार्डवुड कटिंग में जड़ें विकसित होने के लिए उचित वातन और जल पारगम्यता वाली मिट्टी का होना आवश्यक है। नर्सरी में, मिट्टी का मिश्रणः रेतः एफ.वाई. एम. को 5:3:1 की औसत में तथा इसके साथ इसमें छरमा पौधरोपण क्षेत्र से लाई गई फरैंकिया नामक बैक्टिरिया युक्त कुछ मिट्टी मिलाने से यह छरमा नर्सरी के लिए ठीक रहती है। ऐसी मिट्टी की नर्सरी से छरमा के स्वस्थ व जोरदार पौधे वृहद पौधरोपण कार्यक्रम के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं।

कटिंग का पौधरोपणः कटिंग को नर्सरी के खेतों में बसंत आगमन से उसके अंत तक रोपित किया जा सकता है। जाड़े में रोपित छरमा कटिंग के जड़ों से सम्बन्धित अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। बसंत के आरम्भिक चरण बैड में कटिंग लगाई जा सकती है जब मिट्टी की 15–20 सैं.मी. गहराई में तापमान 5 डिग्री तक होता है। कटिंग को 20×10 सैं मी. की दूरी पर लगाया जाता है। कटिंग का 2–3 कोंपलों वाला आधा भाग मिट्टी से बाहर रहता है। कटिंग लगने के बाद इसके चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह से दबाया जाता है ताकि हवा घुसने से कटिंग सूख न जाए। कटिंग लगाने के तुरंत बाद पानी दिया जाता है।

प्रबंधनः कटिंग की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल आवश्यक है। इसके लिए छाया के लिए छत्र बनाना, सिंचाई, खर–पतवार निकालना तथा मिट्टी की जुताई आदि सम्मिलित है। जैसे ही पत्ते और जड़ें निकलने लगती हैं धूप से बचने के लिए लगाए गए मचान/छत्र को निकाल लिया जाए और सिंचाई भी कम की जाए।

सिंचाईः ग्रोविंग सीजन में मिट्टी में नमी की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। गर्मियों में दिन में एक बार सिंचाई कर मिट्टी में नमी की मात्रा 80 से 100 प्रतिशत तक बनाई रखी जानी चाहिए क्योंकि इस समय कटिंग में जड़ें विकसित हो रही होती हैं। जड़ों के पूर्ण रूप से विकसित होने तथा बरसात के दिनों में सिंचाई की मात्रा घटाई जा सकती है। इस प्रकार भूमि पर नमी की दर को 70–80 प्रतिशत तक बनाए रखा जा सकता है। यद्यपि, अधिकतर पौधे अगले वर्ष के प्रत्यारोपण हेतु वांछित ऊँचाई प्राप्त कर लेतें हैं तथापि, कुछ कम विकसित पौधों को दूसरे वर्ष भी बढ़ौतरी हेतु नर्सरी परिस्थितियों में रहने दिया जाता है।

आयोजित बैठकें / कार्यशालाऐं / प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 11 वीं और 12 वीं परियोजना की कार्यकारिणी समिति की बैठक क्रमशः 30 सिंतबर 2020 और 20 जनवरी 2021 को हुई।
- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना के गवर्निंग बॉडी की चौथी बैठक 26 नवम्बर, 2020 को सचिवालय के आर्मसडेल भवन सभागार, शिमला में आयोजित की गई।
- 4 जुलाई 2020 को सेवा निवृत एचपीएफएस / वन परिक्षेत्राधिकारियों के लिए एक दिवसीय वर्चुअल मिटिंग का आयोजन किया गया।
- एफटीआई सुन्दरनगर में क्रमशः 20 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 को मंण्डी और जोगिंदरनगर वन मण्डल के वीएफडीएस बैच–1 के कार्यकारी सदस्य के लि एक दिवसीय प्रशिक्षण शिवर का आयोजन किया गया।
- 5 अगस्त 2020 को वीएफडीएस बैच–1 के माइक्रोप्लान की समीक्षा करने के लिए फील्ड अधिकारियों के साथ वर्चुअल मिटिंग का आयोजन किया गया।
- दिनांक 26 सितंबर, 2020 और 27 अक्तूबर, 2020 को क्रमशः डीएमयू जोगिंदरनगर, कुल्लू ओर सुन्दरनगर के वीएफडीएस वार्ड फेस्लिटेटर के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
- मुख्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 31 दिसंबर, 2020 को जाईका वानिकी परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियों की समीक्षा की गई।
- 10 फरवरी, 2021 को नीथर में डीएमयू आनी की Concurrent Monitoring और Periodic review बैठक का आसोजन किया गया।
- 20 जनवरी, 2020 को मुख्य परियोजना निदेशक के कार्यालय में छरमा/सीबकथॉर्न के प्रजनन प्रौद्योगिकी और रणनीतियों के लिए रोडमैप पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

मीडिया में प्रोजेक्ट गतिविधियाँ

महिलाओं को भी बराबर भागीदार बनाना जरूरी : वन मंत्री

चिनार का पौधा लगाते व पुस्तिकाओं का विमोचन करते वन मंत्री राकेश पठानिया व अन्य। आज समाज

आज समाज नेटवर्क

जिका के अंतर्गत पौधारोपण व ग्रामीण आजीविका सुधार पर खर्च होंगे 41.78 करोड़ रुपए : वन मंत्री

जायका परियोजना से चिलगोजा सीबकथॉर्न को मिलेगी नई पहचान

12 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर 1 करोड़ से ...

पौधरोपण व ग्रामीण आजीविका सुधार पर खर्च होंगे 41.78 करोड़

दिव्य हिमाचल ब्यूरो - शिमला

खुशखबरी आर्थिकी सुधारने के लिए वन भूमि पर औषधीय पौधे लगा सकेंगे स्थानीय जनता

ज्यादा कमा सकेंगे जंगल किनारे बसे लोग

दैनिक सवेरा हिमाचल

सूबे की वन भूमि पर होगी औषधीय व सुगंधीय पौधों की खेती

वन मंत्री ने वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन में स्थानीय लोगों की भागीदारी पर दिया बल

रोहड़ू में जाईका प्रोजेक्ट से आएगी हरियाली

गिरीश शेख्ता • रोहड़ू

रोहड़ू में जाईका प्रोजेक्ट से वन भूमि में ही नहीं स्थानीय लोगों की जिंदगी में भी हरियाली आएगी। केंद्र सरकार की ओर से जापान के सहयोग से संचालित वन विभाग के जायका प्रोजेक्ट से रोहड़ू के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वन विभाग की खाली पड़ी भूमि पर सदाबहार पौधे लगाने के साथ खत्म हो रही वनस्पति की दुर्लभ प्रजातियों सहित वन संपदा का इस योजना के जरिए संरक्षण किया जाएगा।

वन मंडल रोहड़ू के अंतर्गत सरस्वती नगर रेंज में पहले ही यह योजना कार्यान्वित हो चुकी है, जबकि खशधार रेंज के तहत रोहल, गोस्कवाड़ी, गांवसारी, मिंघसली, किशारी खोशटवाड़ी सहित डकनांव व टर्नी वार्डों में भूगोलिक अनुकूलता को देखते हुए यह योजना शुरू की जा रही है।

इस योजना से चयनित हर वार्ड में करीब 120 लोग लाभान्वित होंगे। इन चयनित वार्डों में ग्राम स्तर पर

जाईका योजना के ... वन विभाग की भूमि ... के साथ स्थानीय लोगों को ... मिलेगा। योजना को सफ... विभाग के साथ वार्ड के ... कर वाकायदा समिति ... किया जाएगा।

-शहनवाज अहमद ... अधिकारी रोहड़ू।

शिमला-सोलन-सिरमौर की खबरें www.jagran.com पर पढ़ें

दैनिक भास्कर हिमाचल 10-11-2020

800 करोड़ रुपए के जायका प्रोजेक्ट के लिए 85 विलेज डेवलपमेंट कमेटियां बनाई

भूमि सुधार और जल संरक्षण के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार का अवसर

2028 तक है प्रोजेक्ट की मियाद

परमदेव शर्मा को वन जायका प्रोजेक्ट विकास समिति की कमान

शिलारू। शिलारू क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरधार में वन जायका प्रोजेक्ट तहत देव नाग कार्मिक विकास समिति सरधार का गठन किया गया। डीआरओ मंडी सुरेंद्र कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में गठित इस कमेटी में परम देव शर्मा को सर्वसम्मति से प्रधान व निर्मला देवी को उपप्रधान पद का दायित्व सौंपा गया, जबकि दया राम को सचिव तथा हिमा देवी को सहसचिव बनाया गया। सदस्य के रूप में देवी सिंह, नीता दत्त, लाजा देवी, तेज सिंह, सोलमा देवी (वन रक्षक) व रजनी देवी को मनोनीत किया गया। कोषाध्यक्ष का कार्यभार वन खंड अधिकारी नागम के पास रहेगा। नव नियुक्त प्रधान ने बताया कि उक्त कमेटी वन बिट सरधार में विभिन्न प्रकार के पौधारोपण, चेकडैम व अन्य वन से संबंधित विकास कार्यों का निपटारा व उनकी देखरेख करेगी। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

मुरारी देवी स्वयं सहायता समूह द्वारा मशरूम उत्पादन (सुकेत वन मण्डल)

जगरनाथी स्वयं सहायता समूह की शॉल उत्पादन इकाई (कुल्लू वन मण्डल)

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें:-

मुख्य परियोजना निदेशक, जाईका वानिकी परियोजना,

पॉटर्स हिल, समरहिल, शिमला–5, हिमाचल प्रदेश। दूरभाषः 0177–2830217, ई.मेलः cpdjica2018hpfd@gmail.com

* * *

परियोजना निदेशक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई,

जाईका वानिकी परियोजना, कुल्लू। दूरभाषः– 01902–226636, ई.मेल: pdjicakullu@gmail.com

* * *

अतिरिक्त परियोजना निदेशक, सामुदायिक एवं संस्थागत क्षमता उत्थान इकाई,

जाईका वानिकी परियोजना, रामपुर। दूरभाषः 01782–234689, ई.मेलः dpdrmp2018@gmail.com

प्रकाशन :– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना, कुल्लू